

# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर-प्रथम, जयपुर

पंचायत निगरानी संख्या: 23/2019

RCMS No.—2019/00033

विकास अधिकारी पंचायत समिति जमवारामगढ, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।  
...निगरानीकर्ता

बनाम

1. ग्राम पंचायत थली पंचायत समिति जमवारामगढ तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर जरिये सरपंच।
2. रामकरण पुत्र हरिनारायण मीणा, जाति मीणा, निवासी ग्राम गुवाडा, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।

...विपक्षीगण



निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम 1994 बाबत खारिज किये जाने संकल्प संख्या 2 दिनांक 20.02.2002 जिसके तहत आदेश दिनांक 20.02.2002 के द्वारा पट्टा विपक्षी संख्या 2 के नाम जारी किया गया।

उपस्थित:-

1. श्री मदन लाल कुडी एवं रिछपाल चौधरी निगरानीकार की ओर से।
2. श्री गोपाल लाल बाना गैर निगरानीकार संख्या 1 की ओर से।

निर्णय

दिनांक: 23.09.2019

निगरानीकर्ता ने यह निगरानी ग्राम पंचायत थली, पं.स. जमवारामगढ द्वारा गैर निगरानीकार संख्या 2 रामकरण पुत्र हरिनारायण मीणा, जाति मीणा, निवासी ग्राम गुवाडा तहसील जमवारामगढ के पक्ष में संकल्प संख्या 2 दिनांक 20.02.2002 जिसके तहत आदेश दिनांक 20.02.2002 द्वारा पट्टा जारी किया गया, से असंतुष्ट होकर दिनांक 25.01.2019 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की है। निगरानी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर नोटिस विपक्षीगण जारी करने तथा निगरानीधीन आदेश से सम्बन्धित पत्रावली तलब करने के आदेश दिये गये। विपक्षी संख्या दो की ओर से दिनांक 07.03.2019 को अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र कुमार व्यास द्वारा अप्पडरटेकिंग दी गई थी, दिनांक 19.09.2019 तक अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र कुमार व्यास द्वारा वकालतनामा न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया। गैर निगरानीकार संख्या 2 को अनुपस्थित माना जाता है। विपक्षी संख्या 1 ग्राम पंचायत थली जरिये सरपंच की ओर से अधिवक्ता श्री गोपाल लाल बाना उपस्थित आये। अधीनस्थ ग्राम पंचायत का मूल पट्टा पत्रावली प्राप्त होने पर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। बहस उपस्थित अभिभाषकगण सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक निगरानीकार ने दौराने बहस निवेदन किया कि अधीनस्थ ग्राम पंचायत थली ने गैर निगरानीकार संख्या 2 से मिलीभगत कर वास्तविक तथ्यों को दरकिनार करते हुए पंचायती राज प्रावधानों के विपरीत जाकर नियम विरुद्ध आबादी भूमि खसरा नंबर 58/19 में मनमाने रूप से विधि विरुद्ध निगरानीधीन पट्टा जारी ग्राम पंचायत को 5 बीघा भूमि आरक्षित होने के पश्चात ग्राम पंचायत द्वारा राज. पंचायती राज

49  
अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)  
जयपुर

नियम 142 (1)(2) के तहत विकास योजना तैयार कर उसे वरिष्ठ नगर आयोजनाकार द्वारा करवाया जाना आवश्यक था, जो नहीं करवाया गया। निगरानीधीन पट्टा जारी करने से पूर्व पंचायती राज के नियम 148 के तहत प्रस्तावित विक्रय लिए आक्षेप भी आमंत्रित नहीं किये गये एवं नियम 150 का स्पष्ट उल्लंघन कर पट्टा जारी किया गया है एवं नीलामी की सूचना एक माह की अवधि की जारी करनी चाही गई थी जो नहीं की गई। ग्राम पंचायत द्वारा पंचायती राज नियम 151 के अनुसार नीलामी समिति का गठन कर सरपंच की अध्यक्षता में सतर्कता समिति के अध्यक्ष एवं भू राजस्व निरीक्षक/पटवारी को भी नीलामी समिति में शामिल नहीं किया गया जो पंचायती राज के नियम 151 का उल्लंघन है। ग्राम पंचायत द्वारा पंचायती राज नियम 152 के तहत बाजार कीमत को ध्यान में रखकर प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए थी एवं अन्तिम बोली उस सूचक दर से कम नहीं होनी चाहिए थी जो क्षेत्र में उपरजिस्ट्रार द्वारा स्टाम्प शुल्क के प्रयोजार्थ भूमियों के पिछले विक्रयो के आधार पर नियत की गई हो। निगरानीधीन पट्टा जारी करने से पूर्व पंचायती राज के नियम 154 का उल्लंघन कर अपने द्वारा किये गये विक्रय की पुष्टि भी नहीं करवाई गई। श्रीमान अवर सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के आदेश क्रमांक एफ3(101)जांच/परावि/2366 दिनांक 28.07.2007 द्वारा निगरानीधीन पट्टे के संबंध में जांच हेतु श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद जयपुर को जांच अधिकारी नियुक्त कर जांच करवाई गई तो तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत थली पर राज. पंचायती राज नियमों की अवहेलना कर नियम विरुद्ध पट्टा जारी करने का आरोप स्पष्ट प्रमाणित पाया गया। अतिरिक्त सी.ई.ओ. जिला परिषद जयपुर द्वारा पट्टा निरस्त करने की कार्यवाही बाबत निगरानीकर्ता को जरिये आदेश क्रमांक जि.प.ज./2017/130-31 दिनांक 10.01.2018 निर्देशित किया गया। उक्त आदेश की पालना में पंचायती राज नियमों के विरुद्ध जारी किए गए गैर निगरानीकार संख्या 2 के हक में जारी निगरानीधीन पट्टे के विरुद्ध निगरानी निगरानीकर्ता द्वारा पेश की गयी है। अतः निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत थली पं.स. जमवारामगढ के आदेश दिनांक 20.02.2002 द्वारा जारी किया गया पट्टा निरस्त फरमाया जाकर उक्त पट्टे से संबंधित सम्पूर्ण कार्यवाही को निरस्त फरमाई जावे।

विद्वान अभिभाषक गैर निगरानीकार संख्या 1 ने अधिवक्ता निगरानीकर्ता के कथनों पर सहमति व्यक्त करते हुए कथन किया कि ग्राम पंचायत थली के तत्कालिक सरपंच द्वारा पंचायती राज के नियमों की पालना नहीं करते हुए निगरानीधीन पट्टा जारी किया गया है। अतः निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार करते हुए गैर निगरानीकार संख्या 2 के हक में आदेश दिनांक 20.02.2002 द्वारा जारी पट्टा खारिज फरमाया जावे।

विद्वान अभिभाषक निगरानीकार एवं गैर निगरानीकार संख्या 1 की बहस सुनी गई। पत्रावली का तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं अधीनस्थ ग्राम पंचायत से

अतिरिक्त कलेक्टर (प्रथम)  
जयपुर



प्राप्त पट्टा पत्रावली आदि का आद्योपान्त अवलोकन किया तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। अधीनस्थ ग्राम पंचायत थली, पंचायत समिति जमवारामगढ से प्राप्त पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है, कि ग्राम पंचायत थली द्वारा गैर निगरानीकार संख्या 2 के पक्ष में संकल्प संख्या 02 दिनांक 20.02.2002 जिसके तहत आदेश दिनांक 20.02.2002 द्वारा गैर निगरानीकार संख्या 2 के हक में निगरानीधीन पट्टा जारी किया गया है। निगरानीधीन पट्टे के संबंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद जयपुर द्वारा विभागीय जांच में निगरानीधीन पट्टा पंचायती राज नियामों तहत जारी नहीं किया जाना पाया गया है एवं अतिरिक्त सी.ई.ओ. जिला परिषद जयपुर द्वारा पट्टा निरस्त करने की कार्यवाही बाबत निगरानीकर्ता को जरिये आदेश क्रमांक जि.प.ज. /2017/130-31 दिनांक 10.01.2018 से निर्देशित किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से गैर निगरानीकार संख्या 2 का निगरानीधीन पट्टे भूमि पर कब्जा होना जाहिर नहीं होता है। ग्राम पंचायत थली से प्राप्त पट्टा पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि निगरानीधीन पट्टा जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत न ही कोई नजरी नक्शा तैयार करवाया गया एवं निगरानीधीन भूमि के मौका निरीक्षण हेतु वार्ड पंच गण की कमेटी भी नहीं बनायी गयी। प्रकरण में ग्राम पंचायत थली द्वारा निगरानीधीन पट्टा जारी करने से पूर्व पंचायत राज के नियम 142, 150, 151, 152 की पालना नहीं की गई। राजस्थान पंचायती राज नियम 167(2) अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टे पर सरपंच एवं सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर होने चाहिए परन्तु निगरानीधीन पट्टे पर सचिव ग्राम पंचायत थली के हस्ताक्षर नहीं है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा निगरानीधीन पट्टा जारी करने से पूर्व पंचायती राज अधिनियम 1994 व पंचायती राज नियमो 1996 की अवहेलना कर निर्धारित प्रक्रिया अनुसार पट्टा नहीं दिया जाना जाहिर होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत थली पंचायत समिति जमवारामगढ द्वारा संकल्प सं. 02 दिनांक 20.02.2002 से गैर निगरानीकार संख्या 2 रामकरण पुत्र हरिनारायण मीणा, जाति मीणा, निवासी ग्राम गुवाडा तहसील जमवारामगढ के हक में आदेश दिनांक 20.02.2002 द्वारा जारी पट्टा निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ अधीनस्थ ग्राम पंचायत की मूल पट्टा पत्रावली लौटायी जावें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.09.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

( इकबाल खान )  
अति.कलक्टर-प्रथम,  
जयपुर

